प्रेषक,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

1– संयुक्त निदेशक (अर्थ एवं संख्या),
कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी/गढवाल मण्डल–पौडी ।
2–संयुक्त निदेशक,
बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन अधिष्ठान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3–समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांकः /स्था0(वा0स्था0अधि0–2017)/2024 दिनांकः अप्रैल, 29 2024

विषय : **लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–23 में उल्लेखित समय–सारणी का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–23 के अन्तर्गत समय सारणी का पालन वार्षिक स्थानान्तरण सत्र वर्ष 2024–25 में सुनिश्चित किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से आने वाले पात्र कार्मिकों से वार्षिक स्थानान्तरण सत्र– 2024–25 हेतु 10 इच्छित केन्द्रों के विकल्प एवं **अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कार्मिकों से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर अनिवार्य रूप से** संलग्न–प्रारूप पर **दिनांकः 15 मई, 2024 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

(क) वार्षिक स्थानान्तरण के निम्नलिखित प्रकार होंगे (धारा–6)

1. **सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण।**
2. **दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण।**
3. **अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण।**

(ख) **सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण :** (धारा–7)

1– ऐसे कार्मिक जो सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती स्थल पर 04 वर्ष या उससे अधिक अवधि से कार्यरत है।

2– ऐसे कार्मिक जो सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती स्थल पर 04 वर्ष से कम अवधि से कार्यरत हैं किन्तु उनकी सम्पूर्ण सेवाकाल में सुगम क्षेत्र में तैनाती की अवधि 10 वर्ष से अधिक है।

(ग) **दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण** : (धारा–10)

1– ऐसे कार्मिक जो दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के स्थान पर 03 वर्ष या उससे अधिक अवधि से कार्यरत हैं।

2– ऐसे कार्मिक जिनकी सेवा दुर्गम क्षेत्र में तैनाती स्थल पर 03 वर्ष से कम है किन्तु सम्पूर्ण सेवाकाल में दुर्गम क्षेत्र में तैनाती 10 वर्ष से अधिक हो।

(घ) **सुगम से सुगम पारस्पिरिक स्थानान्तरण : { धारा 18 –(3) }**

दो कार्मिकों द्वारा स्वेच्छा से एक दूसरे के स्थान पर आवेदन करने पर पारस्परिक स्थानान्तरण किये जायेगें।

(ड़) <u>अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण</u> :– {धारा–13,14,17(1)(ख)}

1– अनुरोध, प्रकाशित रिक्तियों के सापेक्ष ही किया जा सकेगा और भरे हुए पदों के लिये अनुरोध मान्य नहीं होगा।

2– स्थानान्तरण अधिनियम के अनुसार अनुरोध के आधार पर भी स्थानान्तरण वरीयता क्रम में 10 इच्छित स्थानों / केन्द्रों के सापेक्ष प्रार्थना पत्र/विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा।

3– **<u>पात्र कार्मिकों के स्थानान्तरण पर, स्थानान्तरण समिति निम्नलिखित क्रम मे विचार करेगी:</u>**

(एक) गम्भीर रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिकों द्वारा स्वंय अथवा पति/पत्नी (यथा लागू) की गम्भीर रोग ग्रस्तता/विकलांगता के आधार पर प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ अनुरोध।

(दो) मानसिक रुप से विक्षिप्त एवं लाचार बच्चों के माता–पिता द्वारा प्रमाण पत्र के साथ अनुरोध।

(तीन) सेवारत पति–पत्नी जिनका एकलौता पुत्र/पुत्री विकलांग हो। प्रमाण–पत्र के साथ।

(चार) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध।

(पांच) विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा प्रमाण पत्र के साथ अनुरोध।

(छः) दुर्गम कार्य स्थल **से** दुर्गम कार्य स्थल/क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध

(सात) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में प्राथमिकता क्रम में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध।

समय–सारणी के तहत प्रत्येक सम्वर्ग के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल/सेवा विवरण निदेशालय स्तर पर संकलन कर सुलभ सन्दर्भ हेतु विभागीय वेब साईड पर प्रदर्शित की जायेगी। उक्त के संबंध में यदि किसी भी कार्मिक को अपने सेवा वर्षों, तैनाती स्थल आदि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो अनिवार्य रूप से यथाशीघ्र निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

अतः धारा–6 के बिन्दु–(3) **अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र** तथा धारा–6 के बिन्दु संख्या– 'क' एवं 'ख' के तहत **अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत आने वाले कार्मिकों के आवेदन पत्र** वरीयता क्रम में <u>**10 इच्छित स्थानों के विकल्प** (वर्तमान तैनाती केन्द्र को छोड़कर)</u> निर्धारित प्रारूप में <u>**15 मई, 2024 तक अनिवार्य रुप से** निदेशालय को संस्तुति सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।</u>

<u>संलग्न</u>–निर्धारित प्रारूप।

नोटः– <u>स्थानान्तरण से संबंधित समस्त कार्यवाही स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अधीन रहेगी।</u>

भवदीय,

(सुशील कुमार)
निदेशक

पत्रांकः 146 / स्था0(वा0स्था0अधिनियम–2017)/2024 दिनांकितः

<u>प्रतिलिपि</u> –निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
(2) सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(3) अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(4) निदेशालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारी।
(5) वेब अधिकारी, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून।
(6) सूचना पट्ट।

(पंकज नैथानी)
अपर निदेशक

वर्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 (उ0अधि0सं0–01,वर्ष–2018)
(स्थानान्तण सत्र–2024–25)

प्रारुप

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	वर्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 (उ0अधि0सं0 –01, वर्ष–2018) स्थानान्तरण सत्र–2024–25 के अनुसार सुगम/दुर्गम क्षेत्र में रिक्त स्थानों, रिक्त स्थानों की प्रत्याशा में अन्य स्थानों को सम्मिलित करते हुये अभिरुचि के 10 (दस) इच्छित स्थान/केन्द्रों में सृजित पद के सापेक्ष विकल्प। (वर्तमान तैनाती केन्द्र को विकल्प में सम्मिलित नहीं किया जायेगा :–
1	2	3	4	5
				1– 2– 3– 4– 5– 6– 7– 8– 9– 10–

अधिकारी द्वारा संस्तुति

हस्ताक्षर–
अधिकारी/कर्मचारी का नाम–
पदनाम–
कार्यालय–